आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजकीय ई–मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 6 (99)2023 / कार्मिक–विविध / व.च.स. / प्रमुवसं / दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री गजे सिंह तथा अन्य द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा S.B. Civil Writ Pettion No. 5793/2007 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2023 की पालना प्रतिवादियों द्वारा नहीं करने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में S.B. Civil Misc Contempt (Writ) No. 1425/2024 दायर की गई है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा S.B. Civil Writ Pettion No5793/2007 गजे सिंह तथा अन्य बनाम सरकार में दिनांक 12.09.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया :–

'In view of the above submissions, the present writ petition is disposed of with the directions to the respondent authorities to consider the petitioners for absorption as Forest Guards in terms of the circulars dated 14.11.1996, 12.03.1997 and the order dated 03.03.2021. If the petitioners are held entitled to absorbed in terms of the said circulars appropriate orders be passed for their absorption as Forest Guards within a period of 2 months from the date of receipt of the present order.'

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खण्डपीठ द्वारा अन्य प्रकरण D.B. Special Appeal (Writ) No.257/2021 राजस्थान वन विभाग श्रमिक संघ बनाम सरकार में दिनांक 06.01.2023 को निम्न आदेश पारित किया गया :–

'In view of the aforesaid facts and circumstances, this appeal is disposed of with the direction to the respondents to consider the petitioners-appellants for absorption as Forest Guard in terms of the circular dated 14.11.1996, 12.03.1997 and the order dated 03.03.2021 and if the petitioners-appellants are held entitled to be absorbed, an appropriate absorption orders be passed within two months thereof.'

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त दोनों प्रकरणों में आदेश पारित किया है कि परिपत्र दिनांक 14.11.96, 12.03.97 तथा आदेश दिनांक 03.03.2021 के क्रम में यदि याचिकाकर्तागण वन रक्षक के पद पर समायोजन हेतु पात्र है तो उक्त आदेश दिनांक से दो माह के अन्दर वनरक्षक के पद पर समायोजन हेतु उपयुक्त आदेश प्रसारित किया जावे।

कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वन विभाग में वनरक्षक, कनिष्ठ लिपिक, चालक, ट्रेक्टर चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन के संबंध में तथ्य निम्न प्रकार से हैं :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 22.04.1995 को कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज की बैठक में 'नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों के समायोजन' पर चर्चा हुई। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पत्रांक एफ 18 (4) ए. आर.–I / 95 दिनांक 09.05.1995 दिनांक 23.06.1995 द्वारा जारी की। उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण के पैरा 1 में उल्लेखित है कि :–

   'About 10620 Work-Charged Employees of Forest Department have been made semi-permanent/permanent as per decision of the Supreme-Court. At present nearly 1062 posts pertaining to scale No. 1 to 6 are lying vacant in the Forest Department but [illegible] 861 posts viz. Forest Guard, LDC, Drivers, Tractor Drivers, Classes-IV (including Mali, Ward-boy, Chainman, Care-taker etc.) are to be filled up by absorbing Work-Charged Employees

Signature valid
Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation: Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2025.01.22 15:30:27 IST
Reason: Approved

Website
IA
DCF (IT)
24/1/2025

RajKaj Ref No.: 13135689

and the rest being specialised/promotion posts are to be filled up under normal recruitment rules.

2. राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ.13(24) फोरेस्ट/91 दिनांक 23.8.1995 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की स्वीकृति संख्या एफ.18.(4)ए.आर–I/95 दिनांक 9.5.95 एवं संशोधन संख्या एफ.18.(4)ए.आर/जी. आर.I/95 दिनांक 23.6.95 द्वारा वन विभाग में वेतनमान संख्या 1 से 6 तक के रिक्त पदों यथा वनरक्षक के 663, कनिष्ट लिपिक के 75, चालक के 63, चतुर्थ श्रेणी के 47 एवं ट्रेक्टर चालक के 13 रिक्त पदों को सम्बन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव पूर्ण करनें की स्थिति में दिनांक 31.12.1993 तक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र वर्कचार्ज कर्मचारियों को समायोजन सें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

3. राज्य सरकार द्वारा उक्त प्रदान की गई स्वीकृति के क्रम में वनरक्षक के 663 पदों के विरूद्ध दिनांक 31.12.1993 तक 10 वर्ष की निरंन्तर पूर्व सेवा करने वाले पात्र वर्कचार्ज कर्मचारी मात्र 363 ही होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 984 दिनांक 19.01.1996 द्वारा राज्य सरकार को अवगत कराया जाकर उक्त 10 वर्ष की सेवा की अनिर्वायता के प्रतिबंध में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रथमतः उपलब्ध 9 वर्ष एवं इस के उपरांन्त क्रमशः 8, 7, 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र वर्कचार्ज कर्मचारी को वनरक्षक के अवशेष रहे रिक्त पदों पर समायोजित किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

4. राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ.13(24) फोरेस्ट/91 दिनांक 23.10.1996 द्वारा वन विभाग में दिनांक 31.12.1993 तक पात्र वर्कचार्ज कर्मचारियों द्वारा 9, 8, 7, 6 एवं 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वेतन श्रृंखला 1 से 6 के अन्तर्गत यथा वनरक्षक, चालक, ट्रेक्टर चालक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर संबन्धित सेवा नियमों के अन्तर्गत समायोजन किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्ययधीन प्रदान की गई :–

I. The absorption shall be in respect of those workcharged employees who have completed at least 5 years continuous service as on 31.12.93.
II. Only those workcharged employees shall be considered for absorption against the regular vacant posts, who fulfill the qualification/experience as prescribed under the rules for different categories of posts. Those with higher length of service having necessary qualification would be absorbed first i.e. those workcharged employees shall be considered first who have put in 9 years of service first, than who have put in 8 years of service and so on.
III. While filling the regular vacancies of the Forest Deptt. out of workcharged employees quota of SC/ST/OBC shall be ensured to be filled us per rules from available SC/ST/OBC workcharged employees.
IV. The post of L.D.C will be filled up by the selected persons of R.P.S.C allotted by Administrative Deptt.
V. The other terms & conditions for absorption shall remain the same as were approved by the committee of Secretaries meeting held on 22.04.1995.

5. राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ.13(24) फोरेस्ट/91 दिनांक 23.10.1996 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर ने पत्रांक 25518–718 दिनांक 14.11.96 द्वारा समस्त अधीनस्थ वनाधिकारियों को विभाग में दिनांक 31.12.1993 तक 10 वर्ष एवं 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र वर्कचार्ज कर्मचारियों को रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित करने के निर्देश दिये गये।

6. तदोपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर ने पत्रांक [illegible] अपने अधीनस्थ वन अधिकारियों को विभाग में दिनांक 31.12.1993 तक 8 वर्ष एवं 7 वर्ष की [illegible] पूर्ण करने वाले पात्र वर्कचार्ज कर्मचारियों को चालक एवं ट्रेक्टर चालक के रिक्त पदों [illegible] 31.

Signature valid
Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation: Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2025.01.22 15:30:27 IST
Reason: Approved

12.1993 तक 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले पात्र वर्कचार्ज कर्मचारियों को वनरक्षकों के पद पर समायोजित करने के निर्देश दिये गये।

7. उक्त प्रदान की गई स्वीकृति के संबंध में विभाग में दिनांक 31.12.1993 तक निरंन्तर 10 वर्ष, 9 वर्ष, 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले वर्कचार्ज कर्मचारियों को विभाग में 663 वनरक्षक के रिक्त पदों की निर्धारित सीमा तक विभाग द्वारा समायोजन/नियुक्तियां प्रदान की गई । इस प्रकार कार्य प्रभारित कर्मचारियों से वनरक्षक के पद पर समायोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 663 पदों पर विभाग द्वारा समायोजन/नियुक्तियां प्रदान की गई।

8. तत्पश्चात वनरक्षक का पद राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियमों के प्रावधानान्तर्गत आने से कार्मिक (क–2) विभाग राज्य सरकार की जारी अधिसूचना दिनांक 8.06.2010 द्वारा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के नियम 22 में संशोधन किया जाकर नियम 22 "क" बनाया गया। उक्त अधिसूचना द्वारा वनरक्षक के पद पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई। नियम 22 "क" के अन्तर्गत वनरक्षकों की सीधी भर्ती लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विभाग द्वारा वर्ष 2010–11 एवं 2013 में वनरक्षक के पदों पर अभ्यार्थियों की सीधी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाकर नियमानुसार नियुक्तियां की गई है। उक्त नियम राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। वनरक्षकों के भर्ती नियमों में कैटल गार्ड (कार्य प्रभारित कर्मचारी) को नियुक्ति/समायोजन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं होने से कैटल गार्ड (कार्य प्रभारित कर्मचारी) को वन रक्षक के पद पर नियुक्ति/समायोजन किया जाना संभव नही हैं।

9. इस क्रम में वर्ष 2015 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 प्रसारित किये गये है। उक्त नियम के अनुसूची–I में वनरक्षक के पद शत प्रतिशत सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधानानुसार वन रक्षकों की सीधी भर्ती हेतु वन विभाग द्वारा समय–समय पर नियमानुसार विज्ञप्ति जारी कर विगत वर्षों में सीधी भर्ती की जाती रही है।

10. राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 में वनरक्षक का पद शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान होने के दृष्टिगत कार्य प्रभारित कर्मचारियों को उक्त नियमों के अन्तर्गत वनरक्षक के पद पर समायोजित किया जाना नियमतः संभव नहीं है।

11. इस संदर्भ में वित्त विभाग की टिप्पणी अधोउद्धत है :–

In the service rules there is no provision for relaxation of any rule except age and experience. Hence, AD is advised that relaxation in the aforesaid rules is not possible for absorption of work charged employes of Forest Department on the regular post of Forest Guard and other posts.

12. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (श्रम एवं विधि) राजस्थान द्वारा विशिष्ट सहायक, कार्यालय राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार को पत्रांक 15ज ( )2020/श्रम/प्रमुवसं/226 दिनांक 03.03.2021 द्वारा कार्यालय राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक दिनांक 19.01.2021 का प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया कि –

"वन विभाग में कार्य प्रभारित कर्मकारों पर कार्यप्रभारित कर्मकार सेवा नियम 1964 लागू न होकर स्थाई आदेश 1973 प्रचलित है। वर्तमान में कार्य प्रभारित कर्मकारों को वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में लिया गया है। वित्त दिमाग के नवीनतम आदेश दिनांक 24.03.11 से कार्य प्रभारित कर्मकारो को राजस्थान सेवा नियमों में लिया जाकर राज्य कर्मियों की भांति समस्त लाभ/परिलाभ दिए जा रहे हैं।"

उक्त पत्र की विषयवस्तु कार्य प्रभारित कर्मचारियों के संबंध में एक तथ्यात्मक विवरण मात्र है। इसलिए उक्त पत्र वर्तमान प्रकरण 'कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वनरक्षक पद पर समायोजन' के संदर्भ में अप्रासंगिक है।

Signature valid

Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation: Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2025.01.22 15:30:27 IST
Reason: Approved

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर द्वारा राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ.13 (24) फोरेस्ट/91 दिनांक 23.08.1995, प्रशासनिक सुधार विभाग की स्वीकृति संख्या एफ.18. (4) ए.आर–I/95 दिनांक 09.05.1995 व संशोधन संख्या एफ.18. (4)ए.आर/जी.आर.I/95 दिनांक 23.06.1995 एवं पत्रांक प.13 (24)/वन/91 दिनांक 23.10.1996 के क्रम में समस्त अधीनस्थ वनाधिकारियों को पत्र दिनांक 14.11.1996 एवं 12.03.1997 द्वारा वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजन करने के निर्देश प्रदान किए गए। राज्य सरकार के पत्र कमांक एफ.13 (24) फोरेस्ट /91 दिनांक 23.08.1995 में वनरक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने की निर्धारित सीमा 663 स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों की निर्धारित सीमा 663 पदों तक तत्समय पात्र कार्य प्रभारित कर्मचारीयों को वनरक्षक के पद पर समायोजन कर दिया गया था। वर्तमान में राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 में वनरक्षक का पद शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति से भरे जाने का प्रावधान है।

अतः उपरोक्त अंकित तथ्यों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों में उल्लेख किए गए परिपत्रों (पत्रों) दिनांक 14.11.1996, 12.03.1997 एवं आदेश (पत्र) दिनांक 03.03.2021 का याचिकाकर्ताओं को वनरक्षक के पद पर समायोजन के सापेक्ष अध्ययन, विवेचन एवं परीक्षण के उपरांत यह स्पष्ट है कि वर्तमान में याचिकाकर्ताओं को वनरक्षक के पदों पर समायोजन नहीं किया जा सकता हैं।

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 6 (99)2023/कार्मिक–विविध/व.च.स./प्रमुवसं/ दिनांक :

प्रतिलिपि :–

1. समस्त वनाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशान करने हेतु।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Arijit Banerjee
Designation : Principal Chief Conservator Of Forest
Date: 2025.01.22 15:30:27 IST
Reason: Approved